

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1949
उत्तर देने की तारीख-06/08/2025

आईआईटी में रिक्तियों की संख्या

1949 डा. विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और अन्य सभी कर्मचारियों के लिए संस्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) उक्त श्रेणियों में से प्रत्येक में आईआईटी-वार रिक्त पदों की संख्या कितनी है;
- (ग) विगत तीन वर्षों में सभी आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा प्लेसमेंट न पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों में आईआईटी से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का वर्ष-वार और आईआईटी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 ने शिक्षकों और संकायों को अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिन्दु बताया है, और इसे व्यापक रूप से शिक्षा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों में से एक बताया है, जिसमें भर्ती, सतत व्यवसायपरक विकास, सकारात्मक कार्य परिवेश और सेवा शर्तें शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्वायत्त संस्थान हैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 और समय-समय पर इसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों द्वारा अभिशासित होते हैं। रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र तथा विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या से जनित अतिरिक्त आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती हैं। संस्थान संकाय भर्ती के लिए रोलिंग

विज्ञापन जारी करता है जो संस्थान में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए पूरे वर्ष चलता रहता है। इसके अतिरिक्त, आईआईटी शीर्ष स्तर के संकाय का चयन सुनिश्चित करने के लिए एक कठिन संकाय भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसमें शिक्षण प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन जैसे कई चरण शामिल होते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को सेमिनार प्रस्तुतियों, संकाय संवाद और बाह्य विशेषज्ञों की समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होता है।

इन संस्थानों में विद्यार्थियों का प्लेसमेंट कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें प्रचलित बाजार स्थितियां, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए विद्यार्थियों की प्राथमिकता तथा उद्यमिता और स्टार्ट-अप के प्रति बढ़ता आकर्षण शामिल है। कई अवर स्नातक विद्यार्थी कैम्पस प्लेसमेंट के बजाय कैम्पस के बाहर स्वयं साक्षात्कार देने या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का विकल्प चुनते हैं। इन संस्थानों में कई इनक्यूबेटर और प्री-इनक्यूबेटर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपने संकाय और उद्योग के सहयोग से प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं और इस प्रकार वे नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि नौकरी प्रदान करने वाले बन रहे हैं।

उच्चतर शिक्षा में विकल्पों की व्यापक उपलब्धता के कारण, विद्यार्थी एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को चुनते और स्थानांतरित होते रहते हैं; इसलिए, किसी शैक्षणिक कार्यक्रम से विद्यार्थियों का बाहर निकलना हमेशा उनकी शैक्षिक यात्रा के अंत के समान नहीं होता है। एनईपी 2020 के अनुरूप, विद्यार्थियों को बहु-प्रवेश और निकास विकल्पों के रूप में अधिक छूट प्रदान की जा रही है। विद्यार्थी विभिन्न कारणों जैसे पाठ्यक्रम वरीयता में बदलाव, अर्थात् इंजीनियरिंग से चिकित्सा में जाना, या संस्थान, विषय में बदलाव अथवा स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं।

सरकार ने उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, जैसे फीस में कमी, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति तक प्राथमिक पहुंच ताकि वित्तीय रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, आईआईटी में अवर स्नातक (यूजी) कार्यक्रम के शिक्षण शुल्क में छूट न केवल सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी प्रदान की जाती है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए पूर्ण शुल्क माफी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों (जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है) के लिए शुल्क में पूर्ण छूट और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों (जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच है) के लिए शुल्क में 2/3 की छूट शामिल है।
